# ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

## आर0ई0आर0 केस नं0–12/23–24

## प्रेमलता टिबड़ेवाल बनाम् अजय सिकदार वगै0

15.07.2023

## –: आदेश :–

वर्त्तमान वाद आवेदिका प्रेमलता टिबड़ेवाल, पति–स्व0 मोतीलाल टिबड़ेवाल, सा0–महागामा, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–महागामा नं0–700, जमाबंदी नं0–111, दाग नं0–1074 एवं 1075 अंतर्गत लगभग 05 कट्ठा जमीन से विपक्षीगण अजय सिकदार, पे0–गंगू सिकदार, शिवा सिकदार, पे0–स्व0 हरिनाथ सिकदार, पुरूषोत्तम सिकदार, नीकू सिकदार, दोनों पे0–कालीचरण सिकदार, मीरा देवी, सभी सा0–महागामा, थाना व अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने हेतु दायर वाद पर प्रकिया प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि उभय पक्ष के बीच संबंधित विवाद को लेकर माननीय उच्च न्यायालय, रांची के W.P.(C) नं0–718/18 चकधारी सिकदार बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में दिनांक– 17.04.2023 को एवं न्यायालय, आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के सेटलमेंट करे0 रि0 576/2002–03 चक्रधारी सिकदार वगै0 बनाम मुरारी टिबड़ेवाल वगै0 में दिनांक–27.12.2017 को आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय एवं न्यायालय, आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के द्वारा आदेश पूर्व में ही पारित है। अतः इस न्यायालय में वाद की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार माननीय उच्च न्यायालय एवं न्यायालय, आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के द्वारा पारित आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, महागामा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

15.07.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

15.07.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

आ0प0-97 27.7.23

27/7/23

Seen
Md. Saud Ali, Adv.
28/7/2023

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.08.02 12:39:56 +05:30
Location: 192.168.8.117

Scanned with OKEN Scanner